



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 184]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, सितम्बर 24, 2009/आश्विन 2, 1931

No. 184]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2009/ASVINA 2, 1931

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2009

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009

(2009 का 8)

सं. 116-4/2009-एमएन (खंड-II).—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i), (iii) और (v) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 कहा जाएगा।
- (2) (क) खंड (ख) में अन्यथा उपबंधित के अलावा, ये विनियम इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (ख) इन विनियमों के विनियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 निम्नानुसार प्रवृत्त होंगे —
 - (i) महानगर तथा श्रेणी 'क' लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों के संबंध में 31 दिसम्बर, 2009 को; और
 - (ii) अन्य लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों के संबंध में 20 मार्च, 2010 को।
2. परिभाषाएं.—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "एक्सेस प्रदाता" से अभिप्रेत है सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस अथवा एकीकृत एक्सेस सेवा लाइसेंस का धारक जिसमें शामिल है ऐसा सेवा प्रदाता, जो सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा सहित फिक्स्ड वायरलाइन अथवा फिक्स्ड वायरलेस सेवा प्रदान कर रहा है।
 - (ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24);

(ग) "प्राधिकरण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ;

(घ) "डिपिंग" से अभिप्रेत है कॉल्ड नम्बर को मैसेज की रूटिंग हेतु लोकेशन रूटिंग नम्बर प्राप्त करने के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता की क्वैरी रिस्पांस सिस्टम का प्रयोग;

(ङ) "दाता प्रचालक" से अभिप्रेत है ऐसा सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदाता अथवा एकीकृत एक्सेस सेवा प्रदाता, जिसके नेटवर्क से सब्सक्राइबर द्वारा किए गए पोर्टिंग के लिए अनुरोध के समय टेलीफोन नम्बर संबंधित है;

(च) "स्थानीय नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस" से अभिप्रेत है किसी एक्सेस प्रदाता और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक द्वारा अनुरक्षित सभी पोर्टेड मोबाइल नम्बरों का डाटाबेस;

(छ) "लोकेशन रूटिंग नम्बर" से अभिप्रेत है मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए प्रत्येक एक्सेस प्रदाता को निर्दिष्ट कोड;

(ज) "संदेश" का वही आशय होगा जो इसे भारतीय तार अधिनियम 1885 (1885 का 13) की धारा 3 के खंड (3) में निर्दिष्ट किया गया है;

(झ) "मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी" से अभिप्रेत है वह सुविधा जो सब्सक्राइबर को उस स्थिति में अपना मोबाइल नम्बर बनाए रखने की अनुमति देती है, जब वह मोबाइल प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बगैर एक एक्सेस प्रदाता से दूसरे में अथवा एक सेल्युलर मोबाइल प्रौद्योगिकी से उसी एक्सेस प्रदाता की दूसरी प्रौद्योगिकी में अंतरित होता है।

(ञ) "मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता" से अभिप्रेत है ऐसी सत्ता जिसे मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया है;

(ट) "नो सर्विस पीरियड" से अभिप्रेत है दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग सब्सक्राइबर की मोबाइल टेलीफोन सेवा के विच्छेदन तथा, पोर्टिंग पर, प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा मोबाइल टेलीफोन सेवा के एक्टिवेशन के बीच की समयावधि;

(ठ) "नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस" से अभिप्रेत है प्रत्येक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में अनुरक्षित डाटाबेस जिसमें इसके जोन में सभी पोर्टेड मोबाइल सब्सक्राइबर नम्बरों के विवरण धारित हों, तथा साथ ही ऐसे नम्बरों की पोर्टिंग से संबंधित सभी संव्यवहारों का पूर्ण इतिहास हो;

(ड) "नम्बर रेंज होल्डर" से अभिप्रेत है ऐसा एक्सेस प्रदाता जिसे लाइसेंसर द्वारा मूल रूप से वह नम्बर रेंज आवंटित की गई थी जिससे पोर्टेड नम्बर संबंधित है;

(ढ) "प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार" से अभिप्रेत है प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा मोबाइल नम्बर के संबंध में पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण के लिए मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को देय प्रभार;

(ण) "पोर्टिंग" से अभिप्रेत है किसी सब्सक्राइबर द्वारा उसके मोबाइल नम्बर अथवा नम्बरों को, यथास्थिति, एक एक्सेस प्रदाता से दूसरे एक्सेस प्रदाता अथवा एक मोबाइल प्रौद्योगिकी से उसी अथवा किसी अन्य एक्सेस प्रदाता की प्रौद्योगिकी में ले जाने की प्रक्रिया;

(त) "पोर्टिंग प्रभार" से अभिप्रेत है ऐसा प्रभार जो प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा किसी सब्सक्राइबर से उसके मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए उद्ग्रहित किया जाता है;

(थ) "प्राप्तकर्ता प्रचालक" से अभिप्रेत है कोई एक्सेस प्रदाता जो पोर्टिंग के पश्चात् सब्सक्राइबर को मोबाइल दूरसंचार सेवा प्रदान करेगा तथा इसमें शामिल है उसका प्राधिकृत एजेंट;

(द) "विनियमों" से अभिप्रेत है दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009;

(ध) "सब्सक्राइबर" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति अथवा विधिक सत्ता जो किसी लाइसेंसशुदा दूरसंचार एक्सेस प्रदाता से मोबाइल दूरसंचार सेवा प्राप्त करती है;

(न) "विशेष पोर्टिंग कोड" के अभिप्रेत है एक वर्णअंकीय कोड, जो किसी एक्सेस प्रदाता द्वारा अपने सब्सक्राइबरों को उसके मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ अनुरोध पर आवंटित किया गया है; और

(प) इन विनियमों में प्रयुक्त किए गए किंतु परिभाषित नहीं किए गए और भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) तथा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) में और इसके तहत बनाए गए नियमों और अन्य विनियमों में परिभाषित किए गए अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उन्हें, यथास्थिति, उन अधिनियमों या नियमों या ऐसे अन्य विनियमों, में क्रमशः निर्दिष्ट किया गया है।

3. पोर्टेबिलिटी पर सीमाएं. — (1) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी एक निश्चित लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र तक ही सीमित होगी;

(2) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी केवल ऐसे सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन नम्बरों के लिए लागू होगी जो पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क (पीएलएमएन) एक्सेस कोड को समाविष्ट करते हैं।

अध्याय—II मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी

4. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रदान करने का दायित्व. — प्रत्येक एक्सेस प्रदाता, सभी सब्सक्राइबर्स, प्री-पेड और पोस्ट-पेड, दोनों के लिए अपने संपूर्ण नेटवर्क पर मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी को सुकर बनाएगा तथा अनुरोध पर इसे गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर उपलब्ध कराएगा।

5. विशेष पोर्टिंग कोड के आवंटन के लिए तंत्र स्थापित करने का दायित्व. — प्रत्येक एक्सेस प्रदाता, इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से साठ दिन के भीतर, अपने मोबाइल नेटवर्क पर, निम्न के प्रयोजन के लिए, एक तंत्र स्थापित करेगा —

- (क) विशेष पोर्टिंग कोड के लिए अनुरोध कर रहे इसके सब्सक्राइबर्स से शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) संदेश प्राप्त करने;
- (ख) ऐसे प्रत्येक अनुरोध के लिए एक विशेष पोर्टिंग कोड आवंटित करने तथा एक स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) संदेश द्वारा इसे तत्काल सब्सक्राइबर को सूचित करने; और
- (ग) ऐसे सब्सक्राइबर के पोर्टिंग अनुरोध के सत्यापन के प्रयोजनार्थ इसके रिकार्डों में ऐसा विशेष पोर्टिंग नम्बर रखने जोकि इसे अंततः मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता से प्राप्त होगा।

6. पोर्टिंग अनुरोध किए जाने के लिए पात्रता मानदण्ड. — प्रत्येक सब्सक्राइबर अपने मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए अनुरोध करने का पात्र होगा:

परंतु यह कि —

(क) यथास्थिति, यदि मोबाइल नम्बर पहले पोर्ट नहीं किया गया है, तो उसके मोबाइल कनेक्शन के एक्टिवेशन की तारीख से अथवा ऐसे मोबाइल नम्बर के मामले में, जिसे पहले पोर्ट किया गया है, उसकी पिछली पोर्टिंग के पश्चात उसके मोबाइल नम्बर के एक्टिवेशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि समाप्त हो गई है;

(ख) यथास्थिति, लंबित बिल अथवा बिलों के रूप में दाता प्रचालक को कोई बकाया भुगतान देय नहीं हो, जिन्हें सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार परंतु पोर्टिंग के लिए आवेदन की तारीख से पूर्व जारी किया गया हो;

(ग) मोबाइल नम्बर के स्वामित्व में परिवर्तन का कोई अनुरोध लंबित न हो;

(घ) पोर्ट किए जाने के लिए आशयित मोबाइल नम्बर पर मामला न्यायालय में न चल रहा हो; और

(ड) संबंधित मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग किसी न्यायालय द्वारा प्रतिषिद्ध न की गई हो।

7. मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए अनुरोध. — (1) अपने मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए इच्छुक प्रत्येक सब्सक्राइबर संबंधित प्राप्तकर्ता प्रचालक को ऐसे प्रपत्र में, जैसाकि ऐसे प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, लिखित में अनुरोध करेगा।

(2) प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा यथानिर्दिष्ट पोर्टिंग अनुरोध प्ररूप में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्न अंतर्विष्ट होगा:—

(क) विनियम 6 में यथानिर्दिष्ट पात्रता मानदण्ड;

(ख) विनियम 12 में यथानिर्दिष्ट अस्वीकृति के आधार;

(ग) पोस्ट-पेड सब्सक्राइबर के मामले में, सब्सक्राइबर से यह वचन कि उसने पिछले बिल के अनुसार सभी देयताओं का दाता प्रचालक को पहले ही भुगतान कर दिया है तथा वह पोर्ट किए जाने के लिए आशयित मोबाइल नम्बर से संबंधित सभी देय-राशियों का भुगतान दाता प्रचालक को उसकी वास्तविक पोर्टिंग तक करने के लिए बाध्य है तथा यह कि वह समझता है और सहमत है कि दाता प्रचालक को ऐसी किसी देयराशि का भुगतान न किए जाने की दशा में, पोर्ट किया गया मोबाइल नम्बर, ऐसी देय-राशियों की वसूली के लिए विधि के अंतर्गत उपलब्ध किसी अन्य समाधान के प्रति पूर्वापेक्षा रखे बिना, प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा विच्छेदित कर दिए जाने का दायी होगा;

(घ) प्री-पेड सब्सक्राइबर के मामले में, सब्सक्राइबर से इस आशय का वचन कि वह समझता है तथा सहमत है कि मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग पर, पोर्टिंग के समय टॉक-टाइम की शेष राशि, यदि कोई है, समाप्त हो जाएगी; और

(ड.) सब्सक्राइबर के ऐसे विवरण, जैसेकि लाइसेंसर द्वारा अथवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिदेशित किए गए हैं।

(3) प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध के साथ निम्न संलग्न होगा —

(क) प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा यथानिर्दिष्ट उपभोक्ता अर्जन प्ररूप जिसके साथ नए सब्सक्राइबर के लिए यथालागू सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न हों; और

(ख) पोस्ट-पेड सब्सक्राइबर के मामले में, पिछले बिल की एक प्रति।

(4) सब्सक्राइबर, पोर्टिंग के लिए अपने अनुरोध के साथ, पोर्टिंग प्रभार, यदि कोई है, का भुगतान करेगा।

8. प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा कार्रवाई. — (1) प्राप्तकर्ता प्रचालक, सब्सक्राइबर से पोर्टिंग अनुरोध प्राप्त होने पर, यह सत्यापित करेगा कि क्या उपभोक्ता अर्जन प्ररूप में विनियम 7 में निर्दिष्ट सभी दस्तावेज संलग्न हैं।

(2) प्राप्तकर्ता प्रचालक उपभोक्ता अर्जन प्ररूप में यह दर्ज करेगा कि उसने सब्सक्राइबर को देख लिया है तथा उसके दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित मूल दस्तावेजों से कर लिया है और उन्हें सही पाया है।

(3) प्राप्तकर्ता प्रचालक उसके पश्चात सब्सक्राइबर को एसएमएस के माध्यम से सब्सक्राइबर के उस मोबाइल नम्बर से, जिसे पोर्ट किया जाना आशयित है, दाता प्रचालक के निर्दिष्ट शॉर्ट कोड को एक मैसेज भेजने को कहेगा।

(4) सब्सक्राइबर से मैसेज प्राप्त होने पर, दाता प्रचालक तत्काल ऑटोमेटेड सिस्टम जेनेरेटेड एसएमएस के माध्यम से वापस उस मैसेज का उत्तर भेजेगा जिसमें एक विशेष पोर्टिंग कोड अंतर्विष्ट होगा।

(5) दाता प्रचालक से विशेष पोर्टिंग कोड प्राप्त होने पर सब्सक्राइबर उसे पोर्टिंग अनुरोध प्ररूप में अंतर्विष्ट करेगा।

(6) प्राप्तकर्ता प्रचालक, चौबीस घंटे की अवधि के भीतर, मोबाइल नम्बर, तदनुरूपी विशेष पोर्टिंग कोड तथा वह तारीख जिसको सब्सक्राइबर द्वारा पोर्टिंग अनुरोध किया गया है, संबंधित मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता को अग्रेषित करेगा:

परंतु यह कि इस उप-विनियम में यथानिर्दिष्ट चौबीस घंटे की अवधि का आकलन करते समय, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का संख्यांक 26) के अधीन घोषित बीच में पड़ने वाले रविवारों तथा सार्वजनिक अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा।

(7) प्राप्तकर्ता प्रचालक मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता को उसके द्वारा अग्रेषित प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध के संबंध में प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार का भुगतान करने का दायी होगा।

9. मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा कार्रवाई. — (1) विनियम 8 के उप-विनियम (6) के अंतर्गत पोर्टिंग अनुरोध के विवरण प्राप्त होने पर, मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता अपने नम्बर पोर्टबिलिटी डाटाबेस से यह सत्यापित करेगा कि क्या मोबाइल नम्बर पूर्व में भी पोर्ट हुआ है और यदि ऐसा है, तो क्या इसकी पिछली पोर्टिंग की तारीख से नब्बे दिन की अवधि समाप्त हो गई है।

(2) जहां पिछली पोर्टिंग की तारीख से नब्बे दिन की अवधि समाप्त न हुई हो, मोबाइल नम्बर पोर्टबिलिटी सेवा प्रदाता अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा और प्राप्तकर्ता प्रचालक को तदनुसार सूचित करेगा तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक इस बात की सूचना संबंधित सब्सक्राइबर को देगा।

(3) अन्य सभी मामलों में, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता यह सत्यापित करेगा कि क्या उसी मोबाइल के संबंध में कोई पोर्टिंग अनुरोध पहले ही लंबित पड़ा है और यदि ऐसा है, तो वह पोर्टिंग के लिए वर्तमान अनुरोध को अस्वीकृत कर देगा तथा उस प्राप्तकर्ता प्रचालक को ऐसे अस्वीकरण के बारे में सूचित करेगा, जिसने ऐसा अनुरोध अग्रेषित किया है, जो इसके उपरांत इस बात की सूचना संबंधित सब्सक्राइबर को देगा।

(4) यदि उसी मोबाइल नम्बर के संबंध में कोई पोर्टिंग अनुरोध लंबित नहीं है, तो मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता ऐसी पोर्टिंग के लिए दाता प्रचालक की मंजूरी प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ ऐसे अनुरोध के विवरणों को उसे अग्रेषित करेगा।

10. दाता प्रचालक द्वारा कार्रवाई - विनियम 9 के उप-विनियम (4) के अंतर्गत पोर्टिंग अनुरोध के विवरण प्राप्त होने पर, दाता प्रचालक, चौबीस घंटे के भीतर, ऐसे विवरणों को सत्यापित करेगा तथा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को निम्न सूचित करेगा-

(क) जहां वह पाता है कि पोर्टिंग अनुरोध विनियम 12 में यथानिर्दिष्ट पोर्टिंग अनुरोधों के अस्वीकरण के किसी भी आधार के अंतर्गत शामिल है, यथास्थिति, विशिष्ट आधार अथवा आधारों के विवरण, जिन पर इसे अपने नेटवर्क से नम्बर की पोर्टिंग करने में कोई आपत्ति है; अथवा

(ख) जहां यह पाता है कि पोर्टिंग अनुरोध विनियम 12 में यथानिर्दिष्ट पोर्टिंग अनुरोधों के अस्वीकरण के किसी भी आधार के अंतर्गत शामिल नहीं है, मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए इसकी मंजूरी:

परंतु यह कि इस उप-विनियम में यथानिर्दिष्ट चौबीस घंटे की अवधि का आकलन करते समय, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 कर संख्यांक 26) के अधीन घोषित बीच में पड़ने वाले रविवारों तथा सार्वजनिक अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा।

11. मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग - (1) विनियम 10 के अंतर्गत दाता प्रचालक से संप्रेषण प्राप्त होने पर, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता-

(क) जहां दाता प्रचालक ने विनियम 10 के खंड (क) के अंतर्गत पोर्टिंग अनुरोध के अस्वीकरण के आधारों को दर्शाया है, तत्काल उसे प्राप्तकर्ता प्रचालक को सूचित करेगा; अथवा

(ख) जहां दाता प्रचालक ने विनियम 10 के खंड (ख) के अंतर्गत पोर्टिंग अनुरोध को अपनी स्वीकृति दर्शाई हो अथवा वह, यथास्थिति, विनियम 10 में यथानिर्दिष्ट समय के भीतर, या तो मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए अपनी आपत्ति अथवा अपनी स्वीकृति को संप्रेषित करने में असफल रहा हो, तो वह तत्काल ऐसे मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग की तारीख और समय निर्धारित करेगा तथा उसे पूर्वानुमानित नो सर्विस पीरियड के विवरणों सहित दाता प्रचालक और प्राप्तकर्ता को एक साथ सूचित करेगा।

(ग) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता खंड (ख) के अंतर्गत ऐसी रीति से पोर्टिंग की तारीख और समय निर्धारित करेगा कि पोर्टिंग, यथास्थिति, विनियम 10 के खंड (ख) के अंतर्गत दाता प्रचालक से स्वीकृति की प्राप्ति के समय से अथवा विनियम 10 में निर्दिष्ट समय-सीमा की समाप्ति से छत्तीस घंटे के भीतर हो जाए।

परंतु यह कि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा खंड (ग) के अंतर्गत पोर्टिंग के लिए नियत की जाने वाली तारीख और समय, यथास्थिति, विनियम 10 के खंड (ख) के अंतर्गत दाता प्रचालक से स्वीकृति मिलने की तारीख से दस दिन के भीतर अथवा विनियम 10 में निर्दिष्ट समय-सीमा की समाप्ति होगा।

(2) जहां मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता ने उप-विनियम (1) के खंड (क) के अंतर्गत दाता प्रचालक द्वारा यथाङ्गित अस्वीकरण के आधारों को प्राप्तकर्ता प्रचालक को सूचित किया हो, वहां प्राप्तकर्ता प्रचालक उसे लिखित में या एसएमएस के माध्यम से संबंधित सब्सक्राइबर को सूचित करेगा।

(3) जहां मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता ने उप-विनियम (1) के खंड (ख) के अंतर्गत ऐसे मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग की तारीख और समय तथा पूर्वानुमानित नो सर्विस पीरियड की सूचना दाता प्रचालक और प्राप्तकर्ता प्रचालक को दी है, वहां प्राप्तकर्ता प्रचालक इसे टेलीफोन के द्वारा अथवा एसएमएस के द्वारा अथवा स्वचालित वॉयस संदेश के द्वारा सब्सक्राइबर को सूचित करेगा।

(4) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता द्वारा निर्धारित की गई पोर्टिंग की तारीख और समय पर, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता मोबाइल नम्बर के विच्छेदन के लिए इसके अनुदेशों को दाता प्रचालक को सूचित करेगा तथा दाता प्रचालक तत्काल तथा हर हाल में ऐसे निर्देशों के प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर, —

(क) ऐसे अनुदेशों को अनुपालन करेगा; और

(ख) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को ऐसे अनुदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

(5) दाता प्रचालक से उप-विनियम (4) के अंतर्गत अनुपालन की रिपोर्ट प्राप्त होने अथवा उप-विनियम (4) में यथानिर्दिष्ट एक घंटा समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता प्राप्तकर्ता प्रचालक को मोबाइल नम्बर के एक्टिवेशन के लिए अपने अनुदेश संप्रेषित करेगा।

(6) मोबाइल नम्बर के एक्टिवेशन के लिए अनुदेश प्राप्त होने पर, प्राप्तकर्ता प्रचालक तत्काल तथा हर हाल में ऐसे अनुदेशों के प्राप्त होने से एक घंटे के भीतर, —

(क) ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करेगा; तथा

(ख) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को ऐसे अनुरोधों के अनुपालन की रिपोर्ट देगा।

(7) उप-विनियम (6) के अंतर्गत प्राप्तकर्ता प्रचालक से अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस में पोर्ट किए गए नम्बर को तदनुरूपी लोकेशन रूटिंग नम्बर आवंटित करेगा तथा सभी एक्सेस प्रदाताओं और अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के प्रचालकों को पोर्ट किए गए मोबाइल नम्बर के साथ-साथ अद्यतन लोकेशन रूटिंग नम्बर प्रसारित करेगा, जो अपने-अपने संबंधित स्थानीय नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस को अद्यतन बनाएंगे।

12. दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग अनुरोध की अस्वीकृति के लिए आधार — मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के लिए कोई भी अनुरोध निम्नलिखित आधारों के अलावा किसी भी आधार पर दाता प्रचालक द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, अर्थात:—

- (क) यथास्थिति, लंबित बिल अथवा बिलों के रूप में सब्सक्राइबर से बकाया भुगतान देय हो, जिन्हें सामान्य बिलिंग चक्र के अनुसार परंतु पोर्टिंग के लिए आवेदन की तारीख से पूर्व जारी किया गया हो;
- (ख) पोर्टिंग अनुरोध नए कनेक्शनों की एक्टिवेशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व किया गया हो;
- (ग) मोबाइल नम्बर के स्वामित्व में परिवर्तन के अनुरोध पर कार्रवाई चल रही हो;
- (घ) पोर्ट किए जाने के लिए आशयित मोबाइल नम्बर पर मामला न्यायालय में चल रहा हो;
- (ङ) मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग लाइसेंसर द्वारा अथवा न्यायालय द्वारा प्रतिषिद्ध की गई हो;
- (च) सब्सक्राइबर ने अंतर-सेवा क्षेत्र पोर्टिंग के लिए आवेदन किया हो;
- (छ) पोर्टिंग अनुरोध में उल्लिखित विशेष पोर्टिंग कोड पोर्ट किए जाने के लिए आशयित मोबाइल नम्बर के लिए दाता प्रचालक द्वारा आवंटित विशेष पोर्टिंग कोड से मेल नहीं खाता हो; और
- (ज) ऐसे विद्यमान संविदात्मक दायित्व हों, जिनके संबंध में सब्सक्राइबर करार में एक निर्गम खंड का प्रावधान किया गया हो परंतु सब्सक्राइबर ने ऐसे निर्गम खंड का अनुपालन न किया हो;

परंतु यह कि जहां दाता प्रचालक विद्यमान संविदात्मक दायित्वों के आधार पर किसी पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार करता है, तो वह ऐसे संविदात्मक दायित्वों के पूर्ण विवरण प्रदर्शित करेगा।

13. पोर्टिंग अनुरोध की वापसी. — (1) कोई सब्सक्राइबर, पोर्टिंग के लिए अनुरोध करने के चौबीस घंटे के भीतर, प्राप्तकर्ता प्रचालक को लिखित रूप में सूचित करके ऐसे अनुरोध को वापस ले सकेगा;

परंतु यह कि अपने पोर्टिंग अनुरोध को वापस लेने वाला सब्सक्राइबर उसके द्वारा प्राप्तकर्ता प्रचालक को संदत्त पोर्टिंग प्रभार की किसी वापसी का पात्र नहीं होगा।

(2) जहां प्राप्तकर्ता प्रचालक ने अनुरोध को वापस लेने के बारे में सूचना की प्राप्ति तक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को पोर्टिंग अनुरोध अग्रेषित नहीं किया है, वह ऐसे पोर्टिंग अनुरोध पर आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा।

(3) यदि प्राप्तकर्ता प्रचालक ने लिए अनुरोध को वापस लेने के बारे में सूचना प्राप्त होने से पूर्व मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को पोर्टिंग अनुरोध को पहले ही अग्रेषित कर दिया है, तो वह पोर्टिंग अनुरोध को वापस लेने के बारे में तत्काल मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को सूचित करेगा तथा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता पोर्टिंग अनुरोध की वापसी के बारे में तत्काल दाता प्रचालक को सूचित करेगा।

(4) उप-विनियम (3) के अंतर्गत शामिल मामलों में, प्राप्तकर्ता प्रचालक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को लागू प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार का भुगतान करने का दायी होगा।

अध्याय—III

सेवा प्रदाताओं के अधिकार और दायित्व

14. दाता प्रचालक के अधिकार और दायित्व. — (1) दाता प्रचालक ऐसे सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब की गई सभी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना जारी रखेगा, जिसने विनियम 11 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुरूप मोबाइल नम्बर के विच्छेदन तक अपने मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग आशयित की है।

(2) मोबाइल नम्बर के विच्छेदन पर, दाता प्रचालक ऐसे सब्सक्राइबर को, समय-समय पर यथासंशोधित बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता विनियम, 2009 (2009 का 7) में यथानिर्दिष्ट ऐसी समयावधि के भीतर और ऐसी रीति से ऐसे सब्सक्राइबर को ऐसी समस्त देय राशि की वापसी कर देगा जो प्रतिदेय भुगतानों के फलस्वरूप ऐसे सब्सक्राइबरों को देय है अथवा ऐसे सब्सक्राइबर द्वारा दाता प्रचालक को निक्षेप के रूप में दी गई है।

(3) दाता प्रचालक उसके द्वारा पोर्ट-आउट किए गए सभी मोबाइल नम्बरों तथा उन सभी मोबाइल नम्बरों के अभिलेखों का अनुरक्षण, जिनके लिए पोर्टिंग अनुरोध उसके द्वारा

अस्वीकृत किए गए हैं, यथास्थिति, पोर्टिंग की तारीख अथवा अनुरोध की अस्वीकृति की तारीख से बारह माह की न्यूनतम अवधि तक करेगा।

(4) पोर्टिंग अनुरोध के पश्चात दाता प्रचालक के नेटवर्क से मोबाइल नम्बर के विच्छेदन तक ऐसे बिल में यथानिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर प्राप्त की गई सेवाओं के लिए सब्सक्राइबर को जारी किसी बकाया बिल के गैर-भुगतान के मामले, में दाता प्रचालक सब्सक्राइबर को सात दिन से अन्यून अवधि का नोटिस देगा, जिसमें उसे अधिसूचित किया गया होगा कि उक्त नोटिस की अवधि के भीतर भुगतान न किए गए जाने के मामले में दाता प्रचालक पोर्ट किए गए नम्बर को विच्छेदित करने के लिए प्राप्तकर्ता प्रचालक से अनुरोध करेगा।

(5) यदि ऐसे अवधि की समाप्ति के पश्चात ऐसा सब्सक्राइबर नोटिस में यथानिर्दिष्ट अवधि तक भुगतान करने में असफल रहता है, तो दाता प्रचालक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता के माध्यम से प्राप्तकर्ता प्रचालक को ऐसे बकाया बिलों के विवरण प्रेषित करेगा तथा पोर्टेड नम्बर को विच्छेदित करने के लिए कार्रवाई करने का परामर्श देगा।

15. प्राप्तकर्ता प्रचालक के अधिकार और दायित्व. — (1) प्राप्तकर्ता प्रचालक मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता से इसके लिए बिल प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर अथवा पारस्परिक रूप से यथासहमत ऐसी अन्य समय-सीमा के भीतर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभार का भुगतान करेगा।

(2) प्राप्तकर्ता प्रचालक ऐसे सभी मोबाइल नम्बरों के संबंध में रिकॉर्डों का ऐसे अनुरोधों की अस्वीकृति की तारीख से न्यूनतम बारह माह की न्यूनतम अवधि के लिए अनुरक्षण करेगा जिनके लिए पोर्टिंग अनुरोध अस्वीकृत कर दिए गए हैं।

(3) जहां विनियम 14 के उप-विनियम (5) के अंतर्गत दाता प्रचालक द्वारा पोर्टेड नम्बर के विच्छेदन के लिए अनुरोध किया गया है, प्राप्तकर्ता प्रचालक दाता प्रचालक से प्राप्त हुए अनुरोध के बारे में संबंधित सब्सक्राइबर को एक नोटिस जारी करेगा, जिसकी अवधि सात दिन से कम और पंद्रह दिन से अधिक नहीं होगी, जिसमें ऐसे सब्सक्राइबर को ऐसे नोटिस की अवधि के भीतर दाता प्रचालक के साथ ऐसा बकाया देयराशि के निपटान का साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा गया होगा और यदि सब्सक्राइबर ऐसी देयराशियों के निपटाने के ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो प्राप्तकर्ता प्रचालक नोटिस के अनुसरण में आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा तथा मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता के माध्यम से तदनुसार दाता प्रचालक को सूचित करेगा।

(4) यदि उप-विनियम (3) के अंतर्गत नोटिस में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व सब्सक्राइबर दाता प्रचालक के साथ ऐसी बकाया देयराशि का निपटान करने के साक्ष्य उपलब्ध करने में असफल रहता है, तो प्राप्तकर्ता प्रचालक ऐसे सब्सक्राइबर के मोबाइल नम्बर को विच्छेदित कर देगा और ऐसे मोबाइल नम्बर के विच्छेदन के बारे में तत्काल मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को सूचित करेगा तथा ऐसे मोबाइल नम्बर को नब्बे दिन की समाप्ति के पश्चात नम्बर रेंज होल्डर में पुनः वापस लाने का अनुरोध करेगा।

(5) यदि, प्राप्तकर्ता प्रचालक के नेटवर्क में मोबाइल नम्बर की पोर्टिंग के पश्चात उप-विनियम (4) में निर्दिष्ट कारणों के अलावा किसी अन्य कारण से मोबाइल नम्बर का विच्छेदन हुआ है, तो प्राप्तकर्ता प्रचालक, ऐसे विच्छेदन से नब्बे दिन के भीतर, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को ऐसे विच्छेदन के बारे में सूचित करेगा तथा ऐसे मोबाइल नम्बर को नम्बर रेंज होल्डर में पुनः वापस लाने का अनुरोध करेगा।

16. मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता के अधिकार और दायित्व. — (1) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता दाता प्रचालक एवं प्राप्तकर्ता प्रचालक के साथ प्रभावी समन्वय के माध्यम से मोबाइल नम्बरों की त्वरित पोर्टिंग को सुकर बनाने के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस का प्रयोग केवल पोर्टिंग और डिपिंग के प्रयोजनार्थ ही करेगा तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।

(3) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता प्राप्त हुए पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या, सफलतापूर्वक की गई पोर्टिंग की संख्या तथा असफलताओं के कारणों सहित असफल हुए पोर्टिंग अनुरोधों की संख्या के बारे में सांख्यिकी के विशिष्ट सेट सृजित करेगा।

(4) विनियम 15 के उप-विनियम (4) के अंतर्गत अथवा विनियम 15 के उप-विनियम (5) के अंतर्गत किसी पोर्टेड मोबाइल नम्बर के विच्छेदन के बारे में प्राप्तकर्ता प्रचालक से संदेश प्राप्त होने पर, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता तत्काल—

(क) नम्बर को अपने नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस से हटा देगा;

(ख) सभी एक्सेस प्रदाताओं तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों के स्थानीय नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस को अद्यतन बनाएगा; और

(ग) मोबाइल नम्बर को नम्बर रेंज होल्डर में वापस लाएगा।

(5) मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता संबंधित प्राप्तकर्ता प्रचालकों को प्रति पोर्ट ट्रांसजेक्शन प्रभारों के संबंध में प्रासंगिक विवरणों के साथ मासिक आधार पर बिल प्रदान करेगा तथा अगले माह की दस तारीख से पूर्व अथवा ऐसे आवधिक अंतरालों पर और ऐसी समय-सीमाओं के भीतर, जोकि पारस्परिक सहमति से निश्चित की जाएं, ऐसे बिलों को, प्रत्येक माह के लिए, संबंधित प्राप्तकर्ता प्रचालकों को वितरित करेगा।

(6) यदि कोई प्राप्तकर्ता प्रचालक विनियम 15 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रति पोर्ट संव्यवहार प्रभारों के लिए बिल का भुगतान करने में असफल रहता है, तो मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता, कोई कार्रवाई करने से पूर्व, ऐसे प्राप्तकर्ता प्रचालक को एक नोटिस जारी करेगा, जिसकी अवधि पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी, जिसमें ऐसे प्राप्तकर्ता प्रचालक को ऐसी अवधि के भीतर बकाया देयराशि का भुगतान करने के लिए कहा गया होगा।

(7) उप-विनियम (6) के अंतर्गत प्राप्तकर्ता प्रचालक को नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता किसी भी दशा में ऐसे दोषी प्राप्तकर्ता प्रचालक की मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा के प्रावधान को समाप्त नहीं करेगा।

17. एक्सेस प्रदाताओं, राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों के दायित्व. — (1) एक्सेस प्रदाताओं, राष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालकों के बीच सभी विद्यमान अंतरसंयोजन करार अथवा व्यवस्थाएं, इन विनियमों के प्रवृत्त होने पर, संशोधित समझी जाएंगी ताकि वे पोर्टेड मोबाइल नम्बरों को तथा उनसे कॉलों की रूटिंग के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप हो जाएं।

(2) प्रत्येक एक्सेस प्रदाता तथा प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा प्रदाता, यथास्थिति, इन विनियमों के प्रवृत्त होने के तीस दिन के भीतर अथवा एक्सेस सेवाओं या कैरिज सेवाओं के प्रारंभ होने से पूर्व, अपनी स्वयं की लागत पर अपने मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी गेटवे से मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं की मुख्य एवं आपदा निवारण साइटों तक व्यवधानरहित कनेक्टिविटी स्थापित करेगा:

परंतु यह कि —

(क) एक से अधिक लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में लाइसेंस रखने वाला एक्सेस प्रदाता मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं की मुख्य तथा आपदा निवारण साइटों के लिए ऐसी व्यवधानरहित कनेक्टिविटी स्थापित करेगा, जो उसके सभी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों के लिए समान होगी; और

(ख) किसी एक्सेस प्रदाता को कैरिज सेवा प्रदान करने वाला कोई एक्सेस प्रदाता, जो अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक भी है, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं के मुख्य तथा आपदा निवारण साइटों के लिए ऐसी व्यवधानरहित कनेक्टिविटी स्थापित करेगा, जो उसके सभी लाइसेंसशुदा सेवाओं के लिए समान होगी और मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी सेवा के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ इसके विभिन्न लाइसेंसशुदा कार्यकलापों के लिए इसके स्थानीय नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस की साझेदारी करेगा:

परंतु यह और कि किसी एक्सेस प्रदाता को कैरिज सेवा प्रदान करने वाला कोई भी एक्सेस प्रदाता अथवा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक किसी अन्य एक्सेस प्रदाता अथवा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक के साथ अपने स्थानीय नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस की साझेदारी नहीं करेगा:

परंतु यह भी कि ऐसा सेवा प्रदाता जो अपने लाइसेंसशुदा कार्यकलापों में अपने स्थानीय नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस की साझेदारी कर रहा है, यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय नम्बर पोर्टेबिलिटी डाटाबेस की ऐसी साझेदारी इसे पोर्ट किए गए मोबाइल नम्बरों तक मैसेज को सीधे रूट करने में समर्थ बनाती है।

(3) ऐसा प्रत्येक एक्सेस प्रदाता, जिसके नेटवर्क पर एक मैसेज ओरिजिनेट होता है, ऐसे मैसेज की सही रूटिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) अंतरराष्ट्रीय आवक मैसेजों के मामले में, ऐसे मैसेज कैरी करने वाले अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक मैसेजों की सही रूटिंग के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) प्रत्येक एक्सेस प्रदाता तथा अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी प्रचालक पोर्टिंग सब्सक्राइबर्स द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अप्राधिकृत अवरोधन अथवा अप्राकृतिक एक्सेस से रक्षा करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे डाटा का उपयोग केवल मोबाइल नम्बरों की पोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए ही किया जा रहा है तथा उसका प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा:

परंतु यह कि इस उप-विनियम के उपबंध ऐसे एक्सेस प्रदाता को अभिहित सुरक्षा एजेंसियों को संवीक्षा प्रयोजनों के लिए ऐसा डाटा प्रदान करने अथवा ऐसे डाटा की एक्सेस करने से निवारित नहीं करेंगे।

अध्याय – IV

प्रकीर्ण

18. नम्बर पोर्टेबिलिटी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न क्रियाकलापों के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट करने के लिए निदेश जारी करने की प्राधिकरण की शक्तियां – (1) अधिनियम के किसी उपबंध, अथवा अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी अन्य विनियम अथवा उसके अंतर्गत जारी निदेशों के प्रति पूर्वापेक्षा रखे बिना, प्राधिकरण, समय-समय पर, मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के किसी पहलू पर, जिसके लिए इन विनियमों में प्रावधान किए गए हैं, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह सेवा प्रदाताओं के लिए उपयुक्त समझे।

19. निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा – (1) प्राधिकरण, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, तथा इन विनियमों के उपबंधों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, आदेश द्वारा, लिखित में, अपने किसी अधिकारी अथवा कर्मी अथवा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किसी स्वतंत्र एजेंसी को इन विनियमों के अधीन सेवा प्रदाता द्वारा अनुरक्षित किन्हीं अभिलेखों की जांच करने अथवा ऐसे अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने का निदेश दे सकेगा।

(2) प्राधिकरण, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट सेवा प्रदाता से ऐसे सेवा प्रदाता द्वारा अनुरक्षित रिपोर्टों की प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट किसी स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से लेखापरीक्षा कराने तथा ऐसी लेखापरीक्षा के संबंध में रिपोर्ट को प्राधिकरण को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा तथा ऐसी लेखापरीक्षा की लागत का वहन संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा किया जाएगा।

सुधीर गुप्ता, सलाहकार (मोबाइल नेटवर्क)

[विज्ञापन-III/4/142/09-असा.]

टिप्पणी : व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम 2009 (2009 का 8) के उद्देश्यों और कारणों को स्पष्ट करता है।

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम 2009 (2009 का 8) का व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि

1. दूरसंचार क्षेत्र, विशेष रूप से मोबाइल दूरसंचार के क्षेत्र में, प्रतिस्पर्धा कार्यकुशलता के संवर्धन में, अन्य बातों के साथ-साथ, सब्सक्राइबरों की एक सेवा प्रदाता से दूसरे में अथवा मोबाइल प्रौद्योगिकियों में आसानी से अंतरित होने की सुविधा की अपेक्षित होती है। मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) सब्सक्राइबरों को उस समय अपना विद्यमान मोबाइल नम्बर बनाए रखने में समर्थ बनाती है, जब वे मोबाइल प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिए बगैर, एक एक्सेस प्रदाता से दूसरे में अथवा किसी लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में समान एक्सेस प्रदाता की किसी एक सेल्युलर मोबाइल प्रौद्योगिकी से किसी अन्य प्रौद्योगिकी में अंतरित होते हैं। एक नए दूरसंचार सेवा प्रदाता के पास जाने के बावजूद विद्यमान मोबाइल नम्बर को बनाए रखने की सुविधा सब्सक्राइबर को उनके मित्रों/ग्राहकों से संपर्क बनाए रखने में मदद करती है। एमएनपी की शुरूआत सेवा प्रदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने तथा उनकी सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक उत्प्रेरक का काम करती है।

2. प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने 1 अगस्त, 2008 को एमएनपी सेवा लाइसेंस के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। उसने देश में दो जोनों के लिए दो एमएनपी प्रचालक भी चिह्नित किए तथा उन्हें लाइसेंस जारी किए। यह भी निर्णय लिया गया है कि महानगरों में तथा श्रेणी 'क' में एमएनपी 31 दिसम्बर, 2009 से तथा शेष देश में 20 मार्च, 2010 तक क्रियान्वित की जाएगी।

3. इन विनियमों के माध्यम से, प्राधिकरण देश में एमएनपी के क्रियान्वयन के लिए आधारभूत व्यवसाय प्रक्रिया ढांचा निर्धारित कर रहा है। भादूविप्रा ने इस विषय पर मसौदा विनियम 30 जून, 2009 को अपनी वेबसाइट पर रखे थे। मसौदा विनियम पर पणधारकों से टिप्पणियां 14 जुलाई, 2009 तक मांगी गई थीं। पणधारकों की लिखित टिप्पणियों को भी भादूविप्रा की वेबसाइट पर रखा गया था जिसके पश्चात पणधारकों के साथ दिल्ली में 27 जुलाई, 2009 को ओपन हाउस चर्चा का भी आयोजन किया गया था तथा पणधारकों से

अनुरोध किया गया था कि वे अपनी और टिप्पणियां, यदि कोई हैं, 31 जुलाई, 2009 तक भेजें। पणधारकों की लिखित टिप्पणियों तथा ओपन हाउस चर्चा में व्यक्त किए गए उनके विचारों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के पश्चात् प्राधिकरण ने अब विद्यमान विनियमों को अंतिम रूप प्रदान किया है।

4. इन विनियमों का आशय निम्न द्वारा एमएनपी के सभी प्रासंगिक पहलुओं को विनियंत्रित करने वाला पूर्ण विनियामक ढांचा उपलब्ध कराना है:—

- (क) मोबाइल टेलीफोन नम्बरों की पोर्टिंग के लिए स्पष्ट पात्रता शर्तों का निर्धारण करना;
- (ख) विभिन्न पणधारकों के अधिकारों तथा दायित्वों को परिभाषित करना, अर्थात् दाता प्रचालक, प्राप्तकर्ता प्रचालक, एमएनपी सेवा प्रदाता;
- (ग) नम्बर पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण की श्रृंखला में प्रत्येक प्लेयर द्वारा अपनाई जाने वाली पद्धति का निर्धारण;
- (घ) श्रृंखला में प्रत्येक प्लेयर अर्थात् दाता प्रचालक, प्राप्तकर्ता प्रचालक और एमएनपी सेवा प्रदाता द्वारा विभिन्न चरणों की पूर्ति के लिए स्पष्ट समय-सीमा निर्दिष्ट करना; और
- (ङ) उपभोक्ताओं को सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान की परिकल्पना।

इन विनियमों के अंतर्गत एमएनपी की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- (i) एमएनपी सुविधा केवल किसी निश्चित लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्र में ही उपलब्ध होगी।
- (ii) मोबाइल नम्बर रखने वाला सब्सक्राइबर अपने मोबाइल कनेक्शन के एक्टिवेशन की तारीख से 90 दिन के पश्चात् ही पोर्टिंग अनुरोध करने का पात्र है। यदि नम्बर पहले भी एक बार पोर्ट किया गया है, तो केवल उसकी पूर्व पोर्टिंग की तारीख से 90 दिन के पश्चात् ही नम्बर पुनः पोर्ट किया जा सकेगा।

- (iii) जो सब्सक्राइबर अपना मोबाइल नम्बर पोर्ट करना चाहता है, उसे प्राप्तकर्ता प्रचालक (वह प्रचालक जिसको सब्सक्राइबर अपना नम्बर पोर्ट कराना चाहता है) से संपर्क करना होगा। सब्सक्राइबर को पोर्टिंग प्रभारों, यदि कोई हैं, का भुगतान प्राप्तकर्ता प्रचालक को करना अपेक्षित है।
- (iv) पोर्टिंग अनुरोध करने वाले सब्सक्राइबर को पोर्टिंग अनुरोध की तारीख से पूर्व जारी सभी बिलों का भुगतान करना अपेक्षित है। वह यह वचन देगा कि उसने पोर्टिंग के लिए अनुरोध की तारीख को दाता प्रचालक को देय सभी बिलों का पहले ही भुगतान कर दिया है तथा वह उसकी वास्तविक पोर्टिंग होने तक मोबाइल नम्बर से संबंधित समस्त देयताओं का भुगतान दाता प्रचालक को करेगा तथा यह कि वह यह समझता है और सहमत है कि दाता प्रचालक को ऐसी किसी देयराशि का भुगतान न किए जाने के मामले में, प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा पोर्ट किया गया मोबाइल नम्बर विच्छेदित किए जाने का दायी होगा।
- (v) सब्सक्राइबर प्राप्तकर्ता प्रचालक को उसका पोर्टिंग अनुरोध प्रस्तुत करने के 24 घंटे के भीतर उसे वापस ले सकेगा। तथापि, पोर्टिंग प्रभार वापसी-योग्य नहीं होंगे।
- (vi) विनियम में पोर्टिंग प्रक्रिया की पूर्ति के लिए चार दिन की अधिकतम समयावधि परिकल्पित की गई है।
- (vii) एक्सेस प्रदाता को ऑल कॉल क्वेरी पद्धति का कार्यान्वयन करना अपेक्षित है।
- (viii) ओरिजिनेटिंग प्रचालक कॉल को सही समापन नेटवर्क में रूट करने के लिए उत्तरदायी है।

मुख्य मुद्दों पर पणधारकों की टिप्पणियां तथा उसका विश्लेषण

1. दोहरी प्रौद्योगिकी प्रदाता के संदर्भ में दाता प्रचालक तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक की परिभाषा:—

कुछ पणधारकों ने सुझाव दिया कि परिभाषा यह स्पष्ट रूप से दर्शाए कि दाता प्रदाता एवं प्राप्तकर्ता प्रचालक एक ही सेवा प्रदाता की एक प्रौद्योगिकी से दूसरी प्रौद्योगिकी में किसी नम्बर की पोर्टिंग के मामले में समान होंगे।

परिभाषा स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि दाता प्रचालक वह है जिससे सब्सक्राइबर अपने नम्बर की पोर्टिंग से पूर्व संबंधित है। मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी में समान सेवा प्रदाता की एक प्रौद्योगिकी से दूसरी प्रौद्योगिकी में पोर्टिंग शामिल है। चूंकि दाता प्रचालक तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक के कृत्य स्वतंत्र रूप से निष्पादित किए जाते हैं, अतः यह बात कोई मायने नहीं रखती है कि दाता और प्राप्तकर्ता प्रचालक समान हैं अथवा अलग-अलग। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह बताना आवश्यक नहीं समझा गया है कि प्रौद्योगिकियों के मध्य मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रदान करने वाले समान सेवा प्रदाता के मामले में दाता एवं प्राप्तकर्ता प्रचालक समान होंगे।

2. जहां अनुरोधों पर विचार नहीं किया गया है, वहां पोर्टिंग प्रभार उद्ग्रहित करना

कुछ पणधारकों द्वारा यह सुझाव दिए गए थे कि पोर्टिंग प्रभार केवल सफल पोर्टिंग के मामले में ही उद्ग्रहित किए जाने चाहिए, सिवाए उस मामले को छोड़कर जहां सब्सक्राइबर ने स्वयं ही अपना पोर्टिंग अनुरोध वापस ले लिया है। ऐसे अन्य लोग भी थे, जिन्होंने यह महसूस किया कि चाहे पोर्टिंग क्रियान्वित हो या नहीं, पोर्टिंग प्रभार देय होंगे, चूंकि प्रत्येक पोर्टिंग अनुरोध के प्रक्रमण के लिए सेवा प्रदाता कोई न कोई व्यय उपगत करता है।

टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्, प्राधिकरण की यह राय है कि इस तर्क में गुण विद्यमान है कि पात्रता मानदण्डों के बारे में उपभोक्ता को पहले ही सूचित किया जा रहा है। अनुरोधों

के परीक्षण में प्राप्तकर्ता प्रचालक/एमएनपी सेवा प्रदाता द्वारा कार्रवाई शामिल होती है। इसके अलावा, पोर्टिंग प्रभार की वापसी में भी सेवा प्रदाताओं के लिए अतिरिक्त व्यय शामिल होता है। अतः यह महसूस किया गया कि प्राप्तकर्ता प्रचालक को भुगतान किए गए पोर्टिंग प्रभारों की वापसी के लिए कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए।

3. दाता, प्राप्तकर्ता तथा एमएनपी सेवा प्रदाता के बीच पोर्टिंग प्रभारों की साझेदारी

कुछ सेवा प्रदाताओं ने टिप्पणी की कि चूंकि सब्सक्राइबर्स की पोर्टिंग के लिए एमएनपीएसपी, दाता/प्राप्तकर्ता प्रचालकों को अतिरिक्त कार्रवाई करनी होती है, पोर्टिंग प्रभार इन प्रचालकों के बीच बांट दिया जाना चाहिए। इस विषय पर प्रति-पोर्ट संव्यवहार प्रभार, डिपिंग प्रभार तथा पोर्टिंग प्रभार का निर्धारण करने के समय कार्रवाई की जाएगी।

4. व्यवसाय दिन तथा घंटों को परिभाषित करना

कुछ सेवा प्रदाताओं ने यह महसूस किया कि व्यवसाय दिन और घंटे/व्यवसाय दिन की समाप्ति को परिभाषित किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है कि व्यवसाय दिन सोमवार से शनिवार तक तथा कार्य घंटे प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक होने चाहिए जबकि कुछ की राय थी कि चूंकि यह अभिव्यक्ति परक्राम्य लिखत अधिनियम में पहले ही परिभाषित की गई है, अतः इसे इन विनियमों में परिभाषित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

व्यवसाय घंटे को परिभाषित करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि आजकल प्रचालकों के अपने ही समय निर्धारित हैं। अतः विनियमों में, जहां अपेक्षित है, निर्दिष्ट प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अनुमेय घंटों की संख्या के संदर्भ में समय-सीमा निर्दिष्ट की गई है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का संख्यांक 26) के अंतर्गत घोषित रविवारों तथा सार्वजनिक अवकाशों को, जहां अपेक्षित है, शामिल नहीं किया गया है।

5. पोर्टिंग के लिए आवेदन हेतु पात्रता शर्त

पोर्टिंग के लिए न्यूनतम पात्रता के रूप में 90 दिन के विनियम पर विवादस्पद दृष्टिकोण थे। कुछ पणधारकों ने इस स्पष्टीकरण का सुझाव दिया कि 90 दिन की अवधि क्रॉस-प्रौद्योगिकी पोर्टिंग के लिए भी लागू होनी चाहिए। कुछ उपभोक्ता प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि पोर्टिंग के लिए कोई समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जानी चाहिए। तथापि, अधिकांश सेवा प्रदाता 90 दिन की समय-सीमा पर सहमत थे।

इसकी जांच की गई है तथा प्राधिकरण की यह राय है कि एक न्यूनतम अवधि निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है ताकि सेवा प्रदाता को उपभोक्ता अर्जन लागत की वसूली में समर्थ बनाया जा सके। मोबाइल नम्बर पोर्टिंग समान प्रचालकों के बीच क्रॉस-प्रौद्योगिकी पोर्टिंग के परिदृश्य का भी ध्यान रखेगी।

6. दाता प्रचालक द्वारा पोर्ट किए गए सब्सक्राइबर से देयराशि की वसूली

एमएनपी के मसौदा विनियम में, यह सुझाव किया गया था कि सब्सक्राइबर अपने नम्बर की पोर्टिंग के लिए केवल तभी पात्र होगा जब उसने पिछले बिल (पोस्ट-पेड सब्सक्रिप्शन के मामले में) का भुगतान कर दिया हो तथा उसने यह वचन भी दिया हो कि वह इसकी वास्तविक पोर्टिंग तक दाता प्रचालक की सभी भावी देय राशियों का भुगतान करना जारी रखेगा। पणधारकों की टिप्पणियां थीं कि -

- विनियम में यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है कि उसके मोबाइल नम्बर के विच्छेदन के पश्चात भी, सब्सक्राइबर दाता प्रचालक को सभी लंबित देयराशियों का भुगतान करने का दायी होगा।
- एक अतिरिक्त प्रक्रिया का सुझाव दिया गया था जिसमें दाता प्रचालक द्वारा सब्सक्राइबर को उसका पोर्टिंग अनुरोध स्वीकार करने से पूर्व भुगतान किए जाने के लिए बिल पेश किया जाना था।

- भादूविप्रा को एमएनपी ग्राहक द्वारा प्राप्तकर्ता प्रचालक को प्रदान किए जाने वाले वचन का प्रपत्र निर्दिष्ट करना चाहिए।

विनियमों में इन बातों के समाधान के पर्याप्त प्रावधान हैं। पोर्टिंग अनुरोध केवल तभी वैध होगा, जब सब्सक्राइबर ने उसके पोर्टिंग अनुरोध की तारीख से पूर्व जारी बिलों के अनुसार अपनी देयताओं का भुगतान कर दिया होगा। वह पोर्टिंग अनुरोध के पश्चात जारी सभी बिलों का भुगतान करने का भी दायी होगा, जिसमें असफल रहने पर प्राप्तकर्ता प्रचालक, सम्यक पद्धति का अनुपालन करने के उपरांत, उसका नम्बर विच्छेदित करने का पात्र होगा। प्राधिकरण की यह राय है कि दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग किए जाने से पूर्व उसकी समस्त देयताओं की वसूली के लिए कोई और अतिरिक्त पद्धति मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के लिए प्रक्रिया को जटिल बना देगी। किसी प्रचालक से पोर्टिंग देयताओं की वसूली के प्रयोजनार्थ विच्छेदन के समान है। इसके अतिरिक्त, देयताओं की वसूली के लिए अन्य विधिक उपचारों हेतु विनियमों में उपयुक्त प्रावधान भी किए गए हैं।

7. प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा सब्सक्राइबरों का सत्यापन तथा दाता प्रचालक द्वारा अधिप्रमाणन

मसौदा विनियम में प्रस्ताव किया गया था कि सब्सक्राइबर से पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति पर प्राप्तकर्ता प्रचालक, पोर्टिंग अनुरोध की प्राप्ति के पांच दिन के भीतर, उसी रीति से सब्सक्राइबर सत्यापन करेगा जैसीकि किसी नए सब्सक्राइबर के अर्जन के लिए अपेक्षित है।

कुछ पणधारकों ने सुझाव दिया कि सब्सक्राइबर सत्यापन एक सुरक्षा संबंधी मुद्दा होने के नाते, सत्यापन पोर्टिंग से पूर्व किया जाना चाहिए। पोस्टपेड सब्सक्राइबरों, विशेष रूप से ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में तथा साथ ही जम्मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित सब्सक्राइबरों का भौतिक सत्यापन करने के लिए 5 दिन की समय-सीमा पर्याप्त नहीं होगी, अतः कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। दूसरी ओर, जिन्होंने त्वरित पोर्टिंग का पक्ष लिया, उन्होंने यह तर्क दिया कि नए सब्सक्राइबरों के विपरीत, दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग सब्सक्राइबर का सत्यापन पहले ही किया होता है तथा वह 90 दिन की न्यूनतम अवधि के

लिए नेटवर्क पर विद्यमान होता है। अतः पोर्टिंग की समाप्ति के पश्चात बाद में सत्यापन करना संभव होगा।

अपनी टिप्पणी में, जिसे भादूविप्रा की वेबसाइट पर तथा चर्चा के दौरान भी रखा गया, एक पणधारक ने सुझाव दिया किया कि त्वरित पोर्टिंग सुनिश्चित करने तथा सब्सक्राइबरों के विवरणों के मेल न खाने के कारण दाता प्रचालक द्वारा अस्वीकरण के अवसरों को कम करने के लिए, अपना नम्बर पोर्ट करने का आवेदन कराने वाले पोस्ट-पेड सब्सक्राइबर को प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा उसके मोबाइल हैंडसेट से एक निर्दिष्ट शार्ट कोड पर एक एसएमएस भेजने के लिए कहा जाना चाहिए। एसएमएस की प्राप्ति पर सब्सक्राइबर अधिप्रमाणित हो जाएगा तथा दाता प्रचालक यह सत्यापित कर पाने में समर्थ भी रहेगा कि सब्सक्राइबर की ओर से उसके नेटवर्क से एमएसएम ओरिजिनेट हुआ है। इसका अन्य द्वारा विरोध नहीं किया गया।

विनियमों का उद्देश्य एमएनपी को एक सरल प्रक्रिया बनाना है। प्राधिकरण की चिंता यह है कि सब्सक्राइबर का अनुरोध केवल पते में परिवर्तन, सब्सक्राइबर द्वारा पोर्टिंग के समय पर दिए गए डाटा तथा दाता प्रचालक के पास उपलब्ध डाटा में नाम अथवा पते में वर्तनी संबंधी अंतर, अथवा मूल सीएएफ विवरणों की गैर-उपलब्धता के कारण अस्वीकृत नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में, सब्सक्राइबर के अनुरोध की अस्वीकृति अथवा दाता प्रचालक की ओर से स्वीकृति की मंजूरी में विलंब की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाएंगी। इसके अलावा, सब्सक्राइबर केवल दाता प्रचालक की ओर से ही विच्छेदित होगा। अतः दाता प्रचालक को केवल इस बात की पुष्टि करने की आवश्यकता है कि पोर्टिंग के लिए आवेदन करने वाला मोबाइल नम्बर इसके नेटवर्क से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, एमएनपी को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के उद्देश्य से, मुख्य पहलू सब्सक्राइबर के लिए प्रक्रिया को सरल, आसान एवं त्वरित बनाना है। प्राधिकरण ने अपने विश्लेषण में यह पाया कि एक पणधारक द्वारा ऊपर दिया गया सुझाव न्यूनतम अवस्थाओं के साथ पोर्टिंग प्रक्रिया को सरल तथा त्वरित बना सकता है तथा साथ ही यह दाता प्रचालक द्वारा अनावश्यक अस्वीकरण का ध्यान भी रखेगा। तदनुसार, विनियमों में एक ऐसी पद्धति भी आरंभ की गई है जिसमें अपने नम्बर की पोर्टिंग के लिए अनुरोध करने वाले सब्सक्राइबर के अधिप्रमाणन के लिए दाता प्रचालक द्वारा एक विशेष पोर्टिंग कोड सृजित

किया जाएगा। सब्सक्राइबर को इस कोड को प्राप्तकर्ता प्रचालक को उपभोक्ता अर्जन प्ररूप प्रस्तुत करते समय पोर्टिंग प्ररूप में अंतर्विष्ट करना होगा।

8. नो सर्विस पीरियड की अवधि

परामर्श के दौरान, पणधारकों का यह मत था कि "नो सर्विस पीरियड" के लिए निर्दिष्ट 2 घंटे की समय-सीमा बहुत कम है तथा सब्सक्राइबर नम्बर के विच्छेदन/एक्टिवेशन के लिए अधिक समय अपेक्षित है। वे चाहते थे कि इस अवधि को बढ़ाकर 4-5 घंटे प्रत्येक कर दिया जाए।

प्राधिकरण ने यह महसूस किया है कि क्रमशः दाता प्रचालक तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा विच्छेदन तथा एक्टिवेशन के लिए एक घंटे की विंडो अवधि एमएनपी सेवा लाइसेंस शर्त के अनुरूप है। इसके अलावा, उस समयावधि को और बढ़ाए जाने से सब्सक्राइबर को असुविधा होगी। अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि "नो सर्विस पीरियड" को पहले जैसा ही बनाए रखा जाए।

9. संविदात्मक दायित्व के परिणामस्वरूप अस्वीकरण के कारण

कुछ पणधारकों ने सुझाव दिया कि दाता प्रचालक तथा सब्सक्राइबर के बीच किसी भी संविदात्मक दायित्व को दाता प्रचालक द्वारा अस्वीकरण के लिए एक कारण के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। इस पर विचार के पश्चात् प्राधिकरण ने इस तर्क में गुण पाया कि ऐसे सब्सक्राइबर को नम्बर पोर्ट करने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो किसी ऐसे विद्यमान संविदात्मक दायित्व के अधीन हो जिसमें दाता प्रचालक के साथ एक निर्गम खंड हो तथा उसका अनुपालन न किया गया हो। तदनुसार विनियमों में उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं।

10. पोर्टिंग प्रक्रिया के दौरान सब्सक्राइबर की आईएसडी तथा अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सुविधाओं को जारी रखने के लिए दाता प्रचालक का विवेकाधिकार

कुछ पणधारकों का यह मत था कि पोर्टिंग के लिए आवेदन करने वाले सब्सक्राइबरों के लिए हाई एक्सपोजर सेवाएं जैसे, आईएसडी, अंतरराष्ट्रीय रोमिंग तथा अन्य मूल्यवर्धित सेवाएं जारी रखना अधिदेशित नहीं किया जाना चाहिए। जबकि इसके विरोध में यह मत था कि ऐसी सभी सेवाओं अथवा सुविधाओं को, जोकि सब्सक्राइबर अपने पोर्टिंग अनुरोध से पूर्व प्राप्त कर रहा था, पोर्टिंग अवधि के भीतर सब्सक्राइबर नम्बर पर अवश्य ही जारी रखे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

प्राधिकरण का मत है कि सेवा प्रदाता सामान्यतया ऐसी ऋण सीमा अनुरक्षित करते हैं जिनके पश्चात सब्सक्राइबरों को ऐसी सुविधाओं का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाती है। दूसरे, संशोधित पोर्टिंग पद्धति को ध्यान में रखते हुए, समग्र प्रक्रिया के लिए अवधि को पर्याप्ततः कम कर दिया गया है। तीसरे, एसटीडी/अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सुविधा रखने वाले सब्सक्राइबरों की संख्या कम है तथा उन्हें दैनिक आधार पर इन सुविधाओं की आवश्यकता हो सकती है। अतः यह महसूस किया गया है कि दाता प्रदाता को उपलब्ध ऐसे प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

11. दाता प्रचालक तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा उस दोषी सब्सक्राइबर के लिए नोटिस की अवधि जिसने प्राप्तकर्ता प्रचालक को अपना नम्बर पोर्ट किया है।

मसौदा विनियमों में उपबंध था कि यदि कोई पोस्ट-पेड सब्सक्राइबर बिल के अनुसार अंतिम तारीख तक दाता प्रचालक के बकाया बिलों को भुगतान करने में असफल रहता है, तो दाता प्रदाता ऐसे भुगतान के लिए एक नोटिस जारी करेगा। यदि सब्सक्राइबर फिर भी बकायों का भुगतान नहीं करता है, तो प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा दाता प्रचालक से सूचना प्राप्त होने पर, एक नोटिस जारी करने के पश्चात नम्बर को विच्छेदित करने की अपेक्षा की गई थी। दाता प्रचालक तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक के लिए क्रमशः "15 दिन से अन्यून" तथा "7 दिन से अन्यून" की अवधि विनिर्दिष्ट की गई थी।

कुछ पणधारकों ने सुझाव दिया कि नोटिस की 15 दिन की अवधि असम्यक रूप से लंबी है क्योंकि अपने बकायों का भुगतान करने के लिए सब्सक्राइबर को पहले ही पर्याप्त समय प्रदान किया जा चुका है, जबकि अन्य ने यह महसूस किया कि 7 दिन की नोटिस अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए।

व्यावहारिक तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि दाता प्रदाता द्वारा दोषी सब्सक्राइबर के लिए नोटिस की अवधि "7 दिन से अन्यून" के रूप में तथा प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा "7 दिन से अन्यून परंतु 15 दिन से अनधिक" के रूप में रखी जाए।

12. एक्सेस प्रदाता/आईएलडीओ तथा एमएनपी सेवा प्रदाताओं के बीच कनेक्टिविटी की स्थापना

एक्सेस प्रदाताओं की राय यह थी कि प्रत्येक नए सेवा प्रदाता (प्राप्तकर्ता) को, उसके द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं अर्थात् सीएमटीएस/बीएसओ/यूएसएल/एनएलडीओ/आईएलडीओ के प्रकार को ध्यान में न रखते हुए, विद्यमान प्रचालक (प्रदाता) से अंतरसंयोजन प्राप्त करना होता है। एमएनपी सेवा प्रदाता तथा प्रत्येक एक्सेस प्रदाता/आईएलडीओ के बीच अंतरसंयोजन करार भादूविप्रा द्वारा अधिसूचित वर्तमान आरआईओ उपबंधों द्वारा विनियंत्रित होना चाहिए। उन्हें लाइसेंस के उपबंधों के विपरीत उनकी अपनी लागत पर अंतरसंयोजन स्थापित करने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए।

प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर पणधारकों की टिप्पणियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। देश में एमएनपी को लागू करने का मुख्य उद्देश्य सब्सक्राइबरों को इस बात की स्वतंत्रता प्रदान करना है कि वे अपना मोबाइल नम्बर बनाए रखते हुए अपना सेवा प्रदाता बदल सकें। ऐसी सुविधा प्रदान करने के लिए एक्सेस प्रदाताओं को मदद देना तथा उनकी सहायता करने के लिए एमएनपी सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। अतः प्राप्तकर्ता/प्रदाता का मुद्दा इस मामले में प्रासंगिक नहीं है। इसके अलावा, यह विनियम एमएनपी सेवा के लाइसेंस

करार के खंड 31.13 तथा सरकार द्वारा सभी बुनियादी सेवा, सीएमटीएस, यूएस, एनएलडी और आईएलडी लाइसेंसियों को दूरसंचार विभाग के दिनांक 6 मई, 2009 के पत्र सं० 20-201/2008-एस-1 द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुरूप है। अतः प्राधिकरण ने पणधारकों के विचारों में कोई गुण नहीं पाया है।

**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd September, 2009

**Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009
(8 of 2009)**

No. 116-4/2009-MN (Vol. II).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36, read with sub-clauses (i), (iii) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER I

Preliminary

1. Short title and commencement.---(1) These regulations may be called the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009.

(2) (a) Except as otherwise provided in clause (b), these regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

(b) Regulations 6, 7, 8, 9,10,11,12 and 13 of these regulations shall come into force on-

- (i) the 31st December, 2009 in respect of Metro and Category 'A' licensed service areas; and
- (ii) the 20th March, 2010 in respect of other licensed service areas.

2. Definitions. —In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Access Provider" means the holder of a Cellular Mobile Telephone Service licence or Unified Access Service licence and includes a service provider providing fixed wireline or fixed wireless service in addition to Cellular Mobile Telephone Service;
- (b) "Act" means the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);
- (c) "Authority" means the Telecom Regulatory Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
- (d) "dipping" means use of query response system of the Mobile Number Portability service provider for obtaining Location Routing Number for routing a message to the called number;
- (e) "Donor Operator" "means a Cellular Mobile Telecom Service provider or Unified Access Service provider, to whose network the mobile number belongs at the time the subscriber makes a request for porting;
- (f) "Local Number Portability Database" means the database of all ported mobile numbers maintained by an Access Provider and an International Long Distance Operator;
- (g) "Location Routing Number" means the code assigned to every Access Provider for the purpose of implementing Mobile Number Portability;
- (h) "message" shall have the meaning assigned to it in clause (3) of section 3 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885);

- (i) “Mobile Number Portability” means the facility which allows a subscriber to retain his mobile telephone number when he moves from one Access Provider to another irrespective of the mobile technology or from one cellular mobile technology to another of the same Access Provider;
- (j) “Mobile Number Portability Service provider” means an entity who has been granted a licence under Section 4 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) for providing Mobile Number Portability Service;
- (k) “No Service Period” means the period of time between the disconnection of the mobile telephone service to the porting subscriber by the Donor Operator and the activation of mobile telephone service, on porting, by the Recipient Operator;
- (l) “Number Portability Database” means the database maintained by each Mobile Number Portability Service provider in electronic form, holding the details of all ported mobile numbers in its zone, along with the complete history of all transactions relating to the porting of such numbers;
- (m) “Number Range Holder” means an Access Provider who was originally allotted, by the licensor, that number range to which the ported number belongs;
- (n) “Per Port Transaction charge” means the charge payable by the Recipient Operator to the Mobile Number Portability Service provider for processing the porting request in respect of a mobile number;
- (o) “porting” means the process of moving, by a subscriber, of his mobile number or numbers, as the case may be, from one Access Provider to another Access Provider or from one mobile technology to another of the same or any other Access Provider;

- (p) “porting charge” means such charge as may be levied by a Recipient Operator from a subscriber for porting his mobile number;
- (q) “Recipient Operator” means an Access Provider who will be providing mobile telecommunication service to the subscriber after porting and includes his authorised agent;
- (r) “regulations” means the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009;
- (s) “subscriber” means any person or legal entity that avails the mobile telecommunication service from a licensed telecom Access Provider;
- (t) “unique porting code” means an alphanumeric code allocated, upon request, by an Access Provider to its subscriber for the purpose of facilitation of porting of his mobile number;
- (u) all other words and expressions used in these regulations but not defined, and defined in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) and the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) and the rules and other regulations made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules or such other regulations, as the case may be.

3. Limits on Portability.—(1) The Mobile Number Portability shall be limited to within a given licensed service area;

(2) Mobile Number Portability will be applicable only to cellular mobile telephone numbers which incorporate a Public Land Mobile Network (PLMN) Access Code.

CHAPTER- II

Mobile Number Portability

4. Obligation to provide Mobile Number Portability. — Every Access Provider shall facilitate in its entire network, Mobile Number Portability to all subscribers, both pre-paid and post-paid and shall, upon request, provide the same on a non-discriminatory basis.

5. Obligation to set up mechanism for allocation of unique porting code.-- Every Access Provider shall, within sixty days from the date of these regulations coming into force, set up, in its mobile network, a mechanism for the purpose of --

- (a) receiving Short Message Service (SMS) messages from its subscribers requesting for a unique porting code;
- (b) allocating a unique porting code for each such request and communicating it to the subscriber forthwith through Short Message Service (SMS) message through an automated process; and
- (c) retaining such unique porting number on its records for the purpose of verification of the porting request of such subscriber to be received eventually by it from the Mobile Number Portability Service provider.

6. Eligibility Criteria for making a porting request.-- Every subscriber shall be eligible to make a request for porting his mobile number:

Provided that---

- (a) a period of ninety days has expired from the date of activation of his mobile connection in the case of a mobile number not ported earlier; or from the date of activation of his mobile number after its last porting, in the case of a mobile number which has been ported earlier, as the case may be;
- (b) there are no outstanding payments due to the Donor Operator by way of pending bills or bills, as the case may be, issued as per the normal billing cycle but before the date of application for porting;

- (c) there is no pending request for change of ownership of the mobile number ;
- (d) the mobile number sought to be ported is not sub-judice;
- (e) porting of the concerned mobile number has not been prohibited by a Court of Law.

7. Request for porting of mobile number. --- (1) Every subscriber desirous of porting his mobile number shall make a request in writing to the concerned Recipient Operator in such format as may be specified by such Recipient Operator.

(2) The porting request form as specified by the Recipient Operator shall, inter alia, incorporate ----

- (a) the eligibility criteria as specified in regulation 6;
- (b) the grounds for rejection as specified in regulation 12;
- (c) in the case of a post paid subscriber, an undertaking by the subscriber that he has already paid all dues as per the last bill to the Donor Operator and that he shall be bound to pay all dues to the Donor Operator pertaining to the mobile number sought to be ported till its eventual porting and that he understands and agrees that in the event of non-payment of any such dues to the Donor Operator, the ported mobile number shall, without prejudice to any other remedies available to the Donor Operator under law for recovery of such dues, be liable to be disconnected by the Recipient Operator;
- (d) in the case of a pre-paid subscriber, an undertaking by the subscriber to the effect that he understands and agrees that, upon porting of the mobile number, the balance amount of talk time, if any, at the time of porting shall lapse;
- (e) such details of the subscriber as mandated by the licensor or by the Authority from time to time.

(3) Each porting request shall be accompanied by ---

- (a) a customer acquisition form as specified by the Recipient Operator accompanied by all documents as applicable to a new subscriber; and

(b) a copy of the last bill, in the case of a postpaid subscriber.

(4) The subscriber shall, with his request for porting, pay the porting charge, if any.

8. Action by Recipient Operator.----- (1) The Recipient Operator, upon receipt of the porting request from a subscriber, shall verify if the customer acquisition form is accompanied by all documents specified in regulation 7.

(2) The Recipient operator shall record in the customer acquisition form that he has seen the subscriber and verified his documents with their respective originals and found them to be in order

(3) The Recipient Operator shall thereupon ask the subscriber to send a message through SMS to a specified short code of the Donor Operator from the subscriber's mobile number which is sought to be ported.

(4) Upon receipt of the message from the subscriber, the Donor operator shall forthwith send back a reply message through an automated system generated SMS containing a unique porting code.

(5) Upon receipt of the unique porting code from the Donor Operator, the subscriber shall incorporate the same in the porting request form.

(6) The Recipient Operator shall, within a period of twenty four hours, forward the mobile number, the corresponding unique porting code and the date on which porting request is made by the subscriber, to the concerned Mobile Number Portability Service provider:

Provided that while calculating twenty four hours as specified in this sub-regulation, intervening Sundays and public holidays declared under the Negotiable Instrument Act, 1881 (No.26 of 1881) shall be excluded.

(7) The Recipient Operator shall be liable to pay Per Port Transaction charge in respect of each porting request forwarded by it to the Mobile Number Portability Service provider.

9. Action by Mobile Number Portability Service provider.— (1) On receipt of the details of the porting request under sub-regulation (6) of regulation 8, the Mobile Number Portability Service provider shall verify from its Number Portability Database whether the mobile number has been ported earlier and, if so, whether a period of ninety days has elapsed from the date of its last porting.

(2) Where a period of ninety days from the date of last porting has not elapsed, the Mobile Number Portability Service provider shall not take any action on the request and shall inform the Recipient Operator accordingly and the Recipient Operator shall communicate the same to the concerned subscriber.

(3) In all other cases, the Mobile Number Portability Service provider shall verify whether any porting request in respect of the same mobile number is already pending and, if so, it shall reject the current request for porting and communicate such rejection to the Recipient Operator who forwarded such request, who shall, thereupon, communicate the same to the concerned subscriber.

(4) In case there is no pending porting request in respect of the same mobile number, the Mobile Number Portability Service provider shall forthwith forward the details of such request to the Donor Operator for seeking his clearance for such porting.

10. Action by Donor Operator.----- Upon receipt of the details of porting request under sub-regulation (4) of regulation 9 , the Donor Operator shall, within twenty-four hours, verify such details and communicate to the Mobile Number Portability Service provider ----

- (a) where it finds that the porting request is covered under any of the grounds of rejection of porting requests as specified in regulation 12. the details of the specific ground or grounds, as the case may be, on which it has any objection to the porting of the number from its network; or
- (b) where it finds that the porting request is not covered under any of the grounds of rejection of porting requests as specified in regulation 12, its clearance for the porting of the mobile number:

Provided that while calculating twenty four hours as specified in this sub-regulation, intervening Sundays and public holidays declared under the Negotiable Instrument Act, 1881 (No.26 of 1881) shall be excluded.

11. Porting of mobile number.----- (1) Upon receipt of the communication from the Donor Operator under regulation 10, the Mobile Number Portability Service provider shall ---

- (a) where the Donor Operator has indicated the grounds for rejection of the porting request under clause (a) of regulation 10, forthwith communicate the same to the Recipient Operator; or
- (b) where the Donor Operator has indicated his clearance to the porting request under clause (b) of regulation 10, or has failed to communicate either its clearance or its objection for the porting of the mobile number, as the case may be within the time specified under regulation 10, forthwith fix the date and time of porting of such

mobile number and communicate it, along with details of anticipated No Service Period, simultaneously to the Donor Operator and the Recipient Operator.

(c) The Mobile Number Portability Service provider shall fix the date and time of porting under clause (b) in such manner that the porting shall be within thirty six hours from the time of receipt of the clearance from the Donor Operator under clause (b) of regulation 10 or the expiry of the time limit specified in regulation 10, as the case may be.

Provided that in Jammu and Kashmir, Assam and North East licensed service areas, the date and time for porting to be fixed under clause (c) by the Mobile Number Portability Service provider shall be within ten days from the date of receipt of the clearance from the Donor Operator under clause (b) of regulation 10 or the expiry of the time limit specified in regulation 10, as the case may be.

(2) Where the Mobile Number Portability Service provider has communicated the grounds for rejection as indicated by the Donor Operator to the Recipient Operator under clause (a) of sub-regulation (1), the Recipient Operator shall communicate the same, in writing or through SMS, to the concerned subscriber.

(3) Where the Mobile Number Portability Service provider has communicated the date and time of porting of such mobile number and the anticipated No Service Period under clause (b) of sub-regulation (1) to the Donor Operator and to the Recipient Operator, the Recipient Operator shall communicate the same to the subscriber telephonically or through SMS or through an automated voice message.

(4) At the date and time of porting fixed by the Mobile Number Portability Service provider, the Mobile Number Portability Service provider shall communicate to the Donor Operator its instructions for disconnection of the mobile number and the Donor

Operator shall, immediately and in any case within one hour of receipt of such instructions, ---

- (a) comply with such instructions; and
- (b) report compliance of such instructions to the Mobile Number Portability Service provider.

(5) Upon receipt of the report of compliance under sub-regulation (4) from the Donor Operator or the expiry of one hour as specified in sub regulation (4), which ever is earlier the Mobile Number Portability Service provider shall communicate to the Recipient Operator its instructions for activation of the mobile number;

(6) Upon receipt of the instructions for activation of the mobile number the Recipient Operator shall, immediately and in any case within one hour of receipt of such instructions, ---

- (a) comply with such instructions; and
- (b) report compliance of such instructions to the Mobile Number Portability Service provider;

(7) Upon receipt of the report of compliance under sub-regulation (6) from the Recipient Operator, the Mobile Number Portability Service provider shall allocate the corresponding Location Routing Number to the ported number in the Number Portability Database and broadcast the updated Location Routing Number along with the ported mobile number to all Access Providers and International Long Distance Operators who shall update their respective Local Number Portability Database.

12. Grounds for rejection of porting request by Donor Operator.--- A request for porting of a mobile number shall not be rejected by a Donor Operator on any ground other than the following grounds, namely:-

- (a) there are outstanding payments due from the subscriber by way of pending bill or bills, as the case may be, issued as per the normal billing cycle but before the date of application for porting;
- (b) the porting request has been made before the expiry of a period of ninety days from the date of activation of a new connection;
- (c) a request for change of ownership of the mobile number is under process;
- (d) the mobile number sought to be ported is sub-judice;
- (e) porting of the mobile number has been prohibited by a Court of Law;
- (f) subscriber has applied for inter-service area porting;
- (g) the unique porting code mentioned in the porting request does not match with the unique porting code allocated by the Donor Operator for the mobile number sought to be ported;
- (h) there are subsisting contractual obligations in respect of which an exit clause has been provided in the subscriber agreement but the subscriber has not complied with such exit clause:

Provided that where the Donor operator rejects a porting request on the ground of subsisting contractual obligations, he shall indicate the full details of such contractual obligations.

13. Withdrawal of porting request.—(1) A subscriber may, within twenty four hours of making a request for porting, withdraw such request by informing the Recipient Operator in writing:

Provided that a subscriber withdrawing his porting request shall not be entitled to any refund of the porting charge paid by him to the Recipient Operator.

(2) Where the Recipient Operator has not forwarded the porting request to the Mobile Number Portability Service provider till receipt of the information regarding withdrawal of the request, it shall not take any further action on such porting request.

(3) In case the Recipient Operator has already forwarded the porting request to the Mobile Number Portability Service provider, before receipt of the information regarding withdrawal of the request, it shall forthwith inform the Mobile Number Portability Service provider about the withdrawal of the porting request and the Mobile Number Portability Service provider shall forthwith inform the Donor Operator about the withdrawal of the porting request.

(4) In cases covered under sub regulation (3), the Recipient Operator shall be liable to pay the applicable Per Port Transaction charge to the Mobile Number Portability Service provider.

CHAPTER- III **Rights and Obligations of Service Providers**

14. Rights and obligations of Donor Operator.— (1) The Donor Operator shall continue to provide all subscribed telecommunication services to the subscriber who has sought porting of his mobile number till the disconnection of the mobile number in accordance with the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11.

(2) Upon disconnection of a mobile number, the Donor Operator shall refund to the subscriber, within such time frame and in such manner as specified in the Standards of Quality of Service of Basic Telephone Service (wireline) and Cellular Mobile Telephone Service Regulations, 2009 (7 of 2009) as may be amended from time to time, all amounts due to such subscriber on account of refundable payments or deposits made by such subscriber to the Donor Operator.

(3) The Donor Operator shall maintain records of all mobile numbers ported out by it and all mobile numbers for which porting requests have been rejected by it for a

minimum period of twelve months from the date of porting or the date of rejection of request, as the case may be.

(4) In case of non-payment of any outstanding bill issued to the subscriber after the porting request, for the services availed till the disconnection of the mobile number from the network of the Donor Operator, within such time as specified in such bill, the Donor Operator shall give a notice of not less than seven days to the subscriber, notifying him that in case of non-payment within the said notice period, the Donor Operator shall request the Recipient Operator to disconnect the ported number.

(5) In case after expiry of such period such subscriber fails to make payments as specified in the notice, the Donor Operator shall communicate the details of such outstanding bills to the Recipient Operator through the Mobile Number Portability Service provider with an advice to take action for disconnecting the ported number.

15. Rights and obligations of Recipient Operator.— (1) The Recipient Operator shall pay to the Mobile Number Portability Service provider, the Per Port Transaction charge at the rate as specified by the Authority from time to time, within fifteen days of receipt of the bill from the Mobile Number Portability Service provider or within such other time limit as may be mutually agreed upon.

(2) The Recipient Operator shall maintain records in respect of all mobile numbers for which porting requests have been rejected, for a minimum period of twelve months from the date of rejection of such requests.

(3) Where a request is made by the Donor Operator under sub-regulation (5) of regulation 14 for disconnecting the ported number, the Recipient Operator shall issue a notice to the concerned subscriber, the period of which shall be not less than seven days and not more than fifteen days, about the request received from the Donor Operator and

calling upon such subscriber to produce evidence of having settled such outstanding dues with the Donor Operator within such notice period and in case the subscriber produces such evidence of having settled such dues, the Recipient Operator shall not take any further action in pursuance of the notice and shall inform the Donor Operator accordingly through Mobile Number Portability Service provider.

(4) In case, before expiry of the period specified in the notice under sub-regulation (3), the subscriber fails to provide evidence of having settled such outstanding dues with the Donor Operator, the Recipient Operator shall disconnect the mobile number of such subscriber and inform the Mobile Number Portability Service provider forthwith about the disconnection of such mobile number and request for reversal of such mobile number to the Number Range Holder after expiry of ninety days.

(5) In case, after porting of a mobile number to the Recipient Operator's network, there is disconnection of the mobile number for any reason other than the reason specified in sub-regulation (4), the Recipient Operator shall, after ninety days of such disconnection, inform the Mobile Number Portability Service provider about such disconnection with a request for reversal of such mobile number to the Number Range Holder.

16. Rights and obligations of Mobile Number Portability Service provider. — (1) The Mobile Number Portability Service provider shall make all efforts to facilitate expeditious porting of mobile numbers through effective coordination with the Donor Operator and the Recipient Operator.

(2) The Mobile Number Portability Service provider shall use the Number Portability Database only for the purpose of porting and dipping and not for any other purpose.

(3) The Mobile Number Portability Service provider shall generate specific sets of statistics regarding the number of porting requests received, the number of portings

carried out successfully and the number of failed porting requests with reasons for failures.

(4) Upon receipt of a communication under sub-regulation (4) of regulation 15 or under sub-regulation (5) of regulation 15, from the Recipient Operator about disconnection of a ported mobile number, the Mobile Number Portability Service provider shall forthwith -

- (a) remove the number from its Number Portability Database;
- (b) update the Local Number Portability Databases of all the Access providers and International Long Distance Operators; and
- (c) restore the mobile number to the Number Range Holder.

(5) The Mobile Number Portability Service provider shall raise bills along with the relevant details in respect of Per Port Transaction charges to the concerned Recipient Operators on a monthly basis and shall deliver such bills to the concerned Recipient Operators for each month before the tenth day of the following month or at such periodic intervals and within such time limits as may be mutually agreed upon.

(6) In case a Recipient Operator fails to pay the bill for Per Port Transaction charges within the time limit specified in sub-regulation (1) of regulation 15, the Mobile Number Portability Service provider, before taking any action, shall issue a notice to such Recipient Operator, the period of which shall be not less than fifteen days, calling upon such Recipient Operator to make payment of the outstanding dues within such period.

(7) Notwithstanding the issue of notice to the Recipient Operator under sub-regulation (6), the Mobile Number Portability Service provider shall in no case discontinue the provision of Mobile Number Portability Service to such defaulting Recipient Operator.

17. Obligations of Access Providers, National Long Distance Operators and International Long Distance Operators.-- (1) All existing interconnect agreements or arrangements between Access Providers, National Long Distance Operators and International Long Distance Operators shall, upon the coming into force of these regulations, stand amended so as to conform to the provisions of these regulations as regards routing of calls to and from ported mobile numbers.

(2) Every Access Provider and every International Long Distance Operator providing carriage service to any Access Provider shall, within thirty days of coming into force of these regulations or before commencement of Access Service or carriage service as the case may be, shall establish fail-proof connectivity from its Mobile Number Portability gateway to the main and Disaster recovery sites of the Mobile Number Portability Service providers at its own cost;

Provided that –

(a) an Access Provider having licenses in more than one licensed service area may establish such fail-proof connectivity to the main and Disaster recovery sites of the Mobile Number Portability Service providers common for all its licensed service areas; and

(b) an Access Provider, who is also an International Long Distance Operator providing carriage service to any Access Provider, may establish such fail-proof connectivity to the main and Disaster recovery sites of the Mobile Number Portability Service providers common for all its licensed services and share its Local Number Portability Database across its various licensed activities for the purpose of implementing Mobile Number Portability Service:

Provided further that no Access Provider or International Long Distance Operator providing carriage service to any Access Provider shall share its Local Number

Portability Database with another Access Provider or International Long Distance Operator:

Provided further that a service provider who is sharing its Local Number Portability Database across its licensed activities shall ensure that such sharing of Local Number Portability Database enables it to directly route messages to ported mobile numbers.

(3) Every Access Provider on whose network a message originates shall be responsible for the correct routing of such message.

(4) In case of international incoming messages, the International Long Distance Operator carrying such messages shall be responsible for correct routing of messages.

(5) Every Access Provider and International Long Distance Operator shall put in place suitable mechanism for safeguarding the data provided by porting subscribers from unauthorized interception or unauthorized access and shall ensure that such data is used solely for the purpose of porting of mobile numbers and shall not use such data for any other purpose:

Provided that the provisions of this sub-regulation shall not prevent such Access Providers from providing such data or access to such data for monitoring purposes to the designated security agencies.

CHAPTER- IV Miscellaneous

18. Power of Authority to issue directions for specifying time limits for various activities for implementing number portability.-- (1) Without prejudice to any of the provisions of the Act, or any other regulations made under the Act or directions issued

there under, the Authority may, from time to time, issue such directions as it may deem fit to the service providers on any aspect of Mobile Number Portability for which provisions have been made in these regulations.

19. Inspection and Auditing.----- (1) The Authority may, if it considers it expedient so to do, and to ensure compliance of the provisions of these regulations, by order, in writing, direct any of its officers or employees or an independent agency appointed by the Authority, to inspect any records maintained by a service provider under these regulations or get such records audited.

(2) The Authority, if it considers it expedient so to do, may require the service provider referred to in sub-regulation (1) to get the records maintained by such service provider audited through an independent agency as may be specified by the Authority and submit the report in respect of such audit to the Authority and the cost of such audit shall be borne by the concerned service provider.

SUDHIR GUPTA, Advisor (Mobile Network)

[ADVT-III/4/142/09-Exty.]

Note : The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009).

Explanatory Memorandum to the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009)

Background

1. Promotion of competition and efficiency in the telecom sector, particularly in the area of mobile telecommunication, requires, inter alia, the facilitation of easy movement of subscribers from one service provider to another or across mobile technologies. Mobile Number Portability (MNP) allows the subscribers to retain their existing mobile telephone number when they move from one Access Provider to another irrespective of the mobile technology or from one cellular mobile technology to another of the same Access Provider, in a licensed service area. The facility of retention of existing mobile telephone number despite moving to a new telecom service provider helps the subscriber maintain contact with his friends/clientele. Introduction of MNP also helps in increasing competition between the service providers and acts as a catalyst for the service providers to improve their quality of service.
2. Based on the recommendations of the Authority, Government issued guidelines for MNP service license on 1st August 2008. It also identified two MNP operators for two zones in the country and issued licenses to them. It has also since been decided that MNP shall be implemented w.e.f. 31st December 2009 in Metros & category 'A' service areas and by 20th March 2010 in rest of the country.
3. Through these regulations, the Authority is laying down the basic business process framework for implementation of MNP in the country. TRAI placed the draft regulations on the subject on its website on 30th June 2009 for consultation with the stakeholders. Comments of stakeholders on the draft regulations were solicited by 14th July 2009. Written comments of stakeholders were posted on TRAI's website,

following which Open House Discussions were held with stakeholders in Delhi on 27th July 2009 and the stakeholders were requested to send further comments, if any, by 31st July, 2009. After careful analysis of the views of the stakeholders expressed both through their written comments and in the Open House, the Authority has framed the present regulations.

4. The regulations seek to provide a framework governing all relevant aspects of MNP by –

- a. laying down clear eligibility conditions for porting of mobile telephone numbers;
- b. defining rights and obligations of various stake holders, i.e., the Donor Operator, the Recipient Operator, the MNP Service provider;
- c. laying down the procedure to be followed by each player in the chain in processing number porting request;
- d. specifying clear time limits for completion of various steps by each player in the chain i.e. the Donor Operator, Recipient Operator and the MNP service provider; and
- e. envisaging least disruption of service to the consumer.

Salient features of the MNP under these regulations are as follows:

- i MNP facility shall be available only within a given licensed service area.
- ii A subscriber holding a mobile number is eligible to make a porting request only after 90 days of the date of activation of his mobile connection. If a number is already ported once, the number can again be ported only after 90 days from the date of the previous porting.

- iii The Subscriber who wishes to port his mobile number should approach the Recipient operator (the operator to whom the subscriber wants to port his number). The Subscriber may be required to pay porting charges, if any, to the Recipient Operator.
- iv The subscriber making the porting request is required to have cleared all the bills issued prior to the date of porting request. He shall give an undertaking that he has already paid all billed dues to the Donor Operator as on the date of the request for porting and that he shall pay dues to the Donor Operator pertaining to the mobile number till its eventual porting and that he understands and agrees that in event of non-payment of any such dues to the Donor Operator, the ported mobile number shall be liable to be disconnected by the Recipient Operator.
- v A subscriber may withdraw his porting request within 24 hours of its submission to the Recipient Operator. However, the porting charges shall not be refundable.
- vi The regulation envisage a maximum time period of four days for the completion of porting process.
- vii Access Providers are required to implement All Call Query method.
- viii The Originating operator shall be responsible to route the call to correct terminating network.

Stakeholders' comments on key issues and its analysis

1. Definition of Donor operator and Recipient operator in the context of dual technology provider:-

Some stakeholders suggested that the definition must clearly indicate the Donor & the Recipient Operator would be the same in case of porting of a number from one technology to other technology within the same service provider.

The definition clearly states that the Donor Operator is the one to whom the subscriber belongs before porting his number. Mobile Number Portability includes porting from one technology to another technology of the same service provider. It is immaterial whether the Donor and the Recipient Operator are same or different as the functions of Donor Operator and Recipient Operator are to be carried out independently. In view of the above, it is felt not necessary to state that the Donor & Recipient Operator will be same in case of same service provider providing Mobile Number Portability across the technologies.

2. Levying porting charge where requests cannot be considered

Suggestions were made by some stakeholders that the porting charges should be levied only in case of a successful porting except in a case where the subscriber himself withdraws his porting request. There were others who felt that irrespective of whether the porting is carried out or not, porting charge should be payable, since for every processing of porting request, the service provider incurs certain cost.

Having considered the comments, the Authority is of the view that there is a merit in the argument that the customer is being informed in advance about the eligibility criteria. Examination of the request involves work on the part of the Recipient

Operator/MNP service provider. Besides, refund of porting charge also involves additional expenditure for the service providers. It is therefore felt that there should be no provision for refund of porting charges paid to the Recipient Operator.

3. Sharing of Porting charge between Donor, Recipient and MNP Service provider

Some service providers commented that as the MNPS, the Donor/ Recipient operators have to carry out additional work for porting the subscribers; the porting charge should be shared among all these operators. This issue will be dealt at the time of determining the Per-Port transaction charge, Dipping charge and Porting charge.

4. Defining Business Days and Hours

Some service providers felt that the Business Day and hours / End of Business Day should be defined. They suggested that Business Days should be (Monday to Saturday) and working hours should be 9 am – 6 pm while some were of the opinion that as these terms are already defined under the Negotiable Instrument Act, there is no necessity of defining the same in these regulations.

Defining the business hours is not feasible as the operators presently have their own timings. Therefore, regulations have specified the timelines, wherever required, in terms of number of hours permitted for completion of specified process. Sundays and public holidays declared under the Negotiable Instrument Act, 1881 (No.26 of 1881) have been excluded wherever required.

5. Eligibility condition for applying for porting

There were conflicting views on the regulation of 90 days as minimum eligibility for porting. Some stakeholders suggested a clarification that the 90 days period should

be applicable for cross technology porting also. Some consumer representatives suggested that no timeframe be defined for porting. However, most of the Service providers were agreeable to the timeframe of 90 days.

This has been examined and Authority is of the view that a minimum period is required to be specified so as to enable the service provider to recover the customer acquisition cost. The Mobile Number Porting definition takes care of scenario of the cross technology porting within same operator too.

6. Recovery of dues by the Donor Operator from the ported subscriber

In the draft Regulation on MNP, it was proposed that the subscriber shall be eligible for porting his number only if he has paid his last bill (in case of post-paid subscription) and provided he has given an undertaking that he shall continue to pay all future dues to the Donor Operator till its eventual porting . The stakeholders' comments were that-

- it needs to be clearly prescribed in the Regulation that even after disconnection of his mobile number; the subscriber will be liable to pay all the pending dues of the Donor Operator.
- an extra procedure was suggested wherein the Donor Operator was to raise the bill for the subscriber to pay before his porting requested was accepted.
- TRAI should prescribe the format of the undertaking to be furnished by MNP customer to Recipient Operator.

The Regulations have adequate provision for recovery of these. The porting request can be valid only if the subscriber has paid his dues as per bills issued before the date of porting request. He will also be liable to pay all the bills issued after the porting request, failing which the Recipient Operator is entitled to disconnect his number, after following the due procedure. The Authority is of the opinion that any extra procedure

for the Donor Operator to recover his dues before porting takes place will complicate the procedure for number portability. Porting from an Operator is similar to disconnection for the purpose of recovery of dues. Besides, suitable provisions have been made in the regulations for other legal remedies for recovering dues.

7. Verification of subscriber by Recipient Operator and Authentication by Donor Operator

The draft regulation proposed that the Recipient Operator, upon receipt of the porting request of a subscriber, within five days of receipt of the porting request, shall carry out subscriber verification in the same manner as required for the acquisition of a new subscriber.

Some stakeholders suggested that Subscriber verification being a security issue, verification should be done before porting. The time period of 5 days may not be sufficient to carry out physical verification of post-paid subscribers particularly subscribers located in rural and remote areas and also in states like J&K and NE, and as such no time period should be prescribed. On the other hand, those who favoured speedy porting put forward an argument that unlike new subscriber, the porting subscriber has already been verified by the Donor Operator and also has been on the network for a minimum of 90 days. Therefore, it may be possible to do post verification after the completion of porting.

In its submission, that was also placed on the TRAI website and in the discussions, one of the stakeholders suggested that in order to ensure speedy porting and reduce the chances of rejection by the Donor Operator because of mismatch of the subscriber's details, the pre-paid subscriber applying for porting of his number should be asked by the Recipient Operator to send a SMS from his mobile handset to a designated short code. On receipt of SMS the subscriber will get authenticated and the Donor

Operator will also be able to verify that the SMS has originated from a subscriber of his network. This was not opposed by others.

The object of the Regulations is to make the MNP a simple affair. The Authority's concern is that the request of the subscriber should not be rejected merely on account of change of address, difference in use of spelling in the name or address between the data given by the subscriber at the time of porting and that available with the Donor Operator, or non-availability of the original CAF details. In such cases, the probability of either rejection of subscriber's request or delay in grant of clearance by the Donor Operator is very high. Moreover, the subscriber is only getting disconnected from the Donor Operator. Therefore, the Donor Operator needs only to confirm that the mobile number applying for porting belongs to its network. Additionally In order to implement the MNP successfully, the key aspect is to make the process simple, easy and speedy for the subscriber. The Authority in its analysis found that the suggestion given above by one of the stakeholders with minor customization can make the porting process simple and speedy and will also take care of unnecessary rejections by the Donor Operator. Accordingly, the regulations have introduced a procedure wherein a unique porting code to be generated by Donor Operator for the authentication of the subscriber requested for porting of his mobile number. The subscriber will have to incorporate this code in the porting form while submitting it with the customer acquisition form to the Recipient Operator.

8. Duration of No service period

During the consultation, stakeholders were of the view that the time period of 2 hours specified for the 'No Service Period' is very short and that more time was required to carry out the disconnection/activation of the subscriber number. They wanted this time period to be increased to 4-5 hours each.

The Authority felt the window period of one hour each for the disconnection and activation by the Donor operator and the Recipient operator respectively is in accordance with the MNP Service license condition. Moreover, further increasing this time period will cause inconvenience to the subscriber. Therefore, the 'No Service Period' is proposed to be maintained as it is.

9. Reasons for rejection due to contractual obligation

Some of the stakeholders have suggested that any Contractual obligation between the Donor Operator and the subscriber should also be included as a reason for rejection by the Donor operator. After consideration, the Authority found merit in the argument that the subscriber, who is under a subsisting contractual obligation having an exit clause with the Donor operator and has not complied with the exit clause can not be allowed to port the number. Accordingly, provisions have been incorporated in the regulations.

10. Discretion of the Donor Operator to continue ISD and International roaming facilities of the subscriber during the process of porting

Some stakeholders were of the view that continuation of high exposure services like ISD, International Roaming, and other Value Added facilities for subscribers applying for porting should not be mandated. While the contrary view was that all such services, or facilities, that the subscriber was receiving prior to his porting request, must be allowed to be continued on the subscriber number, while under porting period.

The Authority is of the view that the service providers normally maintain a credit limit beyond which the subscribers are not allowed to use such facilities. Secondly, in view of the revised porting procedure, the period for the entire process has been considerably reduced. Thirdly, subscribers having ISD/International roaming facility are

few in number and they may need these facilities on a day to day basis. It is therefore felt that there is no need to make such provision available to the Donor Operator.

11. Notice Period by the Donor Operator and Recipient Operator for the defaulting subscriber who has ported his number to the Recipient Operator

The draft Regulations provided that in case, a post-paid subscriber fails to pay the outstanding bills to the Donor Operator by the due date as per the bill, the Donor Operator shall issue a notice for such payment. If the subscriber still fails to pay the dues, the Recipient Operator, on intimation by the Donor Operator was required to disconnect the number after issuing a notice. A period of “Not less than 15 days” and “Not less than 7 days” was prescribed to the Donor Operator and Recipient Operator respectively.

Some of the stakeholders suggested that the notice period of 15 days was unduly long as already sufficient time is given to the subscriber to pay his dues, while others felt that the notice period of 7 days should be increased.

The Authority, based on the practical considerations, has decided that the notice period for the defaulter subscriber by the Donor operator be kept as ‘Not less than 7 days’ and by the Recipient Operator as ‘Not less than 7 days, but not more than 15 days’.

12. Establishment of connectivity between the Access Providers/ILDOS and MNP Service providers:-

The Access Providers were of the opinion that every new service provider (Seeker) irrespective of the type of service being provided by them e.g.

CMTS/BSO/UASL/NLDO/ILDO has to seek interconnection from the existing operators (Provider). The interconnect arrangement between the MNP service provider and every Access Provider/ ILDO should be governed by present RIO provisions notified by TRAI. They may not be forced to establish the Interconnection at their own cost contrary to the provisions of license.

The Authority deliberated in detail on the submission of the stakeholders on this issue. The primary purpose to introduce MNP in the country is to provide freedom to the subscribers to change their service providers while retaining their mobile numbers. MNP service providers have been given licenses to facilitate and help the Access Providers in providing such a facility. Therefore, the issue of seeker/provider is not relevant in this case. Moreover, this Regulation is in accordance with the clause 31.13 of the Licence agreement of the MNP Service and the instructions of the Government to all the Basic service, CMTS, UAS, NLD and ILD licensees vide Department of Telecommunication's letter no.20-201/2008-AS-I, dated 6th May, 2009. Therefore, the Authority finds no merit in the stakeholders' submission.